भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2095
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

तेलंगाना की निचली अदालतों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा

2095. श्री कुंदुरु रघुवीर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना की निचली अदालतों में पार्किंग, प्रतीक्षालय, शौचालय और अदालत कक्ष क्षमता जैसी बुनियादी सुविधाओं सहित न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थिति का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि नलगोंडा जैसे जिलों सहित तेलंगाना के कई अधीनस्थ न्यायालयों में विनिर्दिष्ट पार्किंग क्षेत्र, उचित भवन स्थान और वादियों, वकीलों और कर्मचारियों के लिए जनसुविधाओं का अभाव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को तेलंगाना राज्य सरकार या उच्च न्यायालय से ऐसे न्यायालय परिसरों में अवसंरचना के उन्नयन के लिए केंद्रीय सहायता मांगने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्वीकृत या लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन कमियों को दूर करने की समय-सीमा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 से ही अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से, भारत सरकार उन राज्य सरकारों के संसाधनों को पूरक सहायता प्रदान करती है, जिन पर न्यायिक अवसंरचना विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी है। योजना के अंतर्गत पाँच घटक

सम्मिलित हैं, अर्थात्: न्यायालय हॉल, आवासीय इकाइयाँ, अधिवक्ताओं के लिए हॉल, डिजिटल कंप्यूटर कक्ष तथा शौचालय परिसर । इन अवसंरचना इकाइयों के विनिर्देशन उच्चतम न्यायालय की राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (एनसीएमएस) समिति की संस्तुतियों, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनुसरित मौजूदा मानदंडों और व्यवहारों, तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुसरित कुछ मानदंडों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

वर्ष 2018-19 (आन्ध्र प्रदेश से पृथक्करण के पश्चात्) से अब तक तेलंगाना राज्य को कुल 60.21 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य को 39.82 करोड़ रुपये की धनराशि अनंतिम रूप से उद्दिष्ट की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु तेलंगाना राज्य से आठ (08) चालू परियोजनाओं तथा एक (01) नवीन परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिनकी अनुमानित लागत क्रमशः 26.33 करोड़ रुपये एवं 9.30 करोड़ रुपये है। तदनुसार, उद्दिष्ट धनराशि की 25% प्रथम किश्त के रूप में राज्य को जारी की गई है। आगामी किश्तें जारी करने की आकस्मिकता व्यय की गति पर आधारित होगी।

तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, नलगोंडा जिला न्यायालय परिसर के प्राङ्गण में दिनांक 27.04.2024 को पांच न्यायालय कक्षों वाला एक नया न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया गया है। यह परिसर अधिवक्ता संघ भवन, वादकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के लिये शौचालय तथा पार्किंग स्थल जैसी सुविधाओं से सुसज्जित है। पूर्ववर्ती 10 न्यायिक जिलों के 33 जिलों में विभाजन (राजस्व जिलों के साथ सह-व्यापी) के कारण, स्थायी आवास की कमी के चलते कुछ न्यायालय परिसर किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं। इस कमी को दूर करने हेतु, उच्च न्यायालय ने जनगांव, जयशंकर भूपलपल्ली, जोगुलम्बा गडवाल, करीमनगर, महबूबनगर, मंचिर्याल, मुलुगु, निर्मल, पेद्दापल्ली, सिर्सिल्ला, विकाराबाद, वानपर्ति और यदाद्री भुवनगिरी के 13 न्यायिक जिलों में 12 न्यायालय परिसरों (पोस्को न्यायालय और कुटुंब न्यायालय भवन सहित) के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

****